राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/1884 दि० 26 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007–08 में **महिला क्षेत्र** में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तो पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय नाम एवं पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	14	सात्विक जीवनशाला ट्रस्ट, सेठ मनसुख राम ओंकारमल मोर महाजन की हवेली, ढूंडलोद, झुंझुनू	शेखावटी गर्ल्स कालेज, ढूंडलोद, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, कम्प्युटर एप्लीकेशन, संस्कृत, मनोविज्ञान, डाईंग पेन्टिंग विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कम्प्युटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नालाजी, इन्डस्ट्रीयल माईक्रो बायलाजी, मनोविज्ञान, सांख्यकी, बी.एससी बायोटेक्नालाजी इन्टीग्रेटड
2	28	कल्पना चावला मेमोरियल शिक्षण समिति, सहारण सदन, वार्ड नं० 19, रावतसर, अनुमानगढ	कल्पना चावला गर्ल्स कालेज, साहवा, तारानगर, चुरू	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, कम्प्युटर एप्लीकेशन, संस्कृत

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्धकी कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षो में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालयय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/ महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।

प्राचार्य